

# आदेश

प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लिये ए0आई0सी0टी0ई0 की नियमावली की धारा 4 के अन्तर्गत व्याख्यापित नियमों के अनुरूप संस्था में कार्यरत महिला स्टाफ सदस्यों/संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में लैंगिक समानता को बनाये रखने के लिये तथा महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिये संस्था स्तर पर निम्नानुसार आंतरिक शिकायत निवारण समिति (Internal Complaint Committee) का गठन किया जाता है, तथा समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण त्वरित/शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

1. श्री सुभाष शुक्ला विभागाध्यक्ष विद्युत , अध्यक्ष।
2. श्री जितेन्द्र गौतम व्याख्याता विद्युत, सदस्य।
3. श्री चन्द्र कान्त व्याख्याता इलेक्ट्रानिक्स, सदस्य।
4. श्री राम सहोदर कर्मशाला अनुदेशक, सदस्य।

(डा0 प्रदीप कुमार अवस्थी)

प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक महोबा

पत्रांक 27-एकेडमिक/2020-21

दिनांक 08/10/2021

प्रतिलिपि :- उपरोक्त समिति अध्यक्ष/सदस्यों को अनुपालनार्थ।

(डा0 प्रदीप कुमार अवस्थी)

प्रधानाचार्य